रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-724/2018/1709/22-2-2018-17(353)/2018

लखनऊ:दिनांक: 04 अक्टूबर, 2018

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए 02 अक्टूबर, 2018 को महात्मा गांधी की 150 वीं जयन्ती के उपलक्ष पर जिला कारागार, गोरखपुर में निरूद्ध सीमित सजा से दण्डित सिद्धदोष बन्दी रामजीत (बन्दी संख्या-172/2018) पुत्र स्व0 झिन्नू, जो बभनी खासा, थाना-छपिया, जनपद-गोण्डा का रहने वाला है, जिन्हें अपराध संख्या-4/14, मुकदमा संख्या-1358/15 के अन्तर्गत धारा-3 आर0पी0यू0पी0 एक्ट के अधीन दिनांक 27.07.2018 को मा0 न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम, गोरखपुर द्वारा 01 वर्ष के दण्ड से दण्डित किया गया तथा जिनके द्वारा दिनांक 01.10.2018 तक 00 वर्ष, 09 माह, 22 दिन की अपरिहार सजा काटी गयी है, जो कुल दी गयी सजा के 66 प्रतिशत से अधिक है एवं जेल आचरण संतोषजनक है, की शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बन्दी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट, गोण्डा के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

अमर सेन सिंह

विशेष सचिव।

संख्या-724/2018/1709(1)/22-2-2018 तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- अपर पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।

2- जिला मजिस्ट्रेट, गोण्डा।

3- पुलिस अधीक्षक, गोण्डा।

4- अधीक्षक, जिला कारागार, गोरखपुर।

5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in